न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन-अधिकारी :-रिछपाल सिंह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- 02/2018
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. धन्नाराम पुत्र लादूराम कौम साद निवासी आजडोली
2. रामदयाल दत्तक पुत्र पुसाराम कौम साद निवासी आजडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 28.02.2022

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आजडोली में गत बन्दोबस्त की आधार जमाबंदी संवत 2006 एवं बाद में जमाबन्दी चौसाला संवत 2011–14, 2015–18 एवं 2019–22 में निम्न आराजियात "डोली बनाम मंदिर श्री जानकी रूघनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी लादूराम जानकीदास जीवनदास पिता तोलाराम कौम साद सा. देह डोलीदार " दर्ज है जिसके खसरा पत्रक संवत 2018 के अनुसार गत खसरा संख्या 65 रकबा 20–10 बीघा व वर्तमान खसरा संख्या 65 रकबा 20–10 बीघा है। नये बन्दोबस्त में अनियमित रूप से राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजियात में निम्नानुसार खातेदारी दी जाकर परिवर्तन कर दिया गया -

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	नाम खातेदारान जिनके पक्ष में खातेदारी दी गई।
65	20–10 बीघा	बारानी प्रथम	पुसाराम धन्नाराम पि० लादूराम कौम साद जीवणदास पुत्र तौलाराम कौम साद सा. देह खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

उक्त खसरान में कालान्तर में विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण (विक्रय, विरासत आदि) के माध्यम से होकर खसरा नंबर 65 की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है -

मूल खसरा संख्या	रकबा	नये खसरा संख्या	रकबा	नाम खातेदारान जिनके पक्ष में खातेदारी दी गई।
65	20–10 बीघा	65	10–05 बीघा	धन्नाराम पुत्र लादूराम कौम साद सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा- मौलासर मृतहीन
		231/65	10–05 बीघा	रामदयाल दत्तक पुत्र पुसाराम कौम साद सा0देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा मौलासर मृतहीन

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक - प-2(4)राज:90/37 दिनांक 13.12.1991 के पैरा संख्या 4 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

1. भविष्य में जो जमावन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जाये उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सिवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनमें पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
3. जो जमावन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है उसमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है यहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबन्दी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक - प-3(2)राज:9/2007/14 दिनांक 14.05.2007 के पैरा संख्या 2 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये-

1. जागिरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी। उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।मंदिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है।वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी,सेवादार आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत भूमि गत बन्दोबस्त में राजस्व रेकर्ड मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है। नवीन बन्दोबस्त खुदकाश्त की भूमि में मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी दर्ज की गई जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी थी। इस प्रकार शुरू से मंदिर की भूमि में किये गये खातेदारी संबंधी इन्द्राज अवैध एवं शून्य थे। अतः उसके बाद किये गये समस्त हस्तानान्तरण भी अवैध एवं शून्य है। अतः रेफरेन्स पेश कर निवेदन है उक्त आराजी भूमि के गैर कानूनी हस्तान्तरण को निरस्त करवाकर उक्त भूमि वापस "डोली बनाम मंदिर रूघनाथजी महाराज " के नाम दर्ज करावे।

{3} प्रार्थी तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एंव 2 सूचना उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

{4} अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से सीधे ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम आजडोली तहसील डीडवाना की संवत् 2006 की खतौनी, जिसके कॉलम संख्या 2 में नंबर खतौनी 62 अंकित है , के कालॅम संख्या 4 (नाम मालिक , हासिल मय वल्दियत कौमियत व सकूनत) में डोली बनाम मंदिर श्री जानकी रूघनाथ जी वाके देह पुजारी लादूराम जानकी दास जीवण दास पिता तोलाराम कौम साद सा. देह ब.हि. बराबर डोलीदार तथा कॉलम संख्या 5 (नाम काश्तकार व शिकमी मय वल्दियत कौमियत व सकूनत) में डोलीदार खुदकाश्त तथा कॉलम संख्या 6 (नंबर खेत) में 65 दर्ज है। इस प्रकार सवंत 2006 की समयावधि में आराजी संख्या 65 मंदिर की खुदकाश्त की भूमि रही है। जमाबंदी संवत् 2011–2014, 2015–2018, 2019–2022 के कालॅम संख्या 4 में मंदिर श्री जानकी रूघनाथजी पुजारी लादूराम जानकीदास जीवणदास पिता तौलाराम साद सा०देह खातेदार व कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त दर्ज रही है। परन्तु जमाबंदी संवत 2023–2026 के अवलोकन से पाया कि उक्त जमाबंदी के कालॅम संख्या 4 में डोली बनाम मंदिर के स्थान पर श्री सरकार एवं कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त के स्थान पर पुसाराम धनाराम पिता लादूराम कौम साद जीवणदास पिता तौलाराम कौम साद सा. देह खातेदार दर्ज " प्रविष्ट कर दिया गया। उक्त प्रविष्टि बिना किसी सक्षम आदेश से की जाकर पुसाराम धनाराम पिता लादूराम कौम साद जीवणदास पिता तौलाराम के नाम प्रदान की गई खातेदारी विधी विरूद्ध दर्ज की गई है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रेकर्ड मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु नवीन बंदोबस्त में खुदकाश्त की भूमि में मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

दर्ज की गई जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः नवीन बंदोबस्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजियात खसरा संख्या 65 रकबा 20–10 बीघा किस्म बारानी प्रथम में खातेदारी पुसाराम धनाराम पिता लादूराम कौम साद जीवणदास पिता तौलाराम कौम साद सा. देह खातेदार, खातेदारी अवैध तथा निरस्त योग्य हैं तत्पश्चात उक्त खसरान में कालान्तर में विभिन्न प्रकार के हस्तान्तरण भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाना है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम आजडोली तहसील डीडवाना के खसरा नंबर 65 रकबा 10–05 बीघा , खसरा नंबर 231/65 रकबा 10–05 बीघा पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर उक्त भूमि पुनः "डोली बनाम मंदिर श्री जानकी रूघनाथ जी महाराज" वाके आजडोली दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)